अटल भू-जल योजना

अटल-जल

ब्लॉक हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़

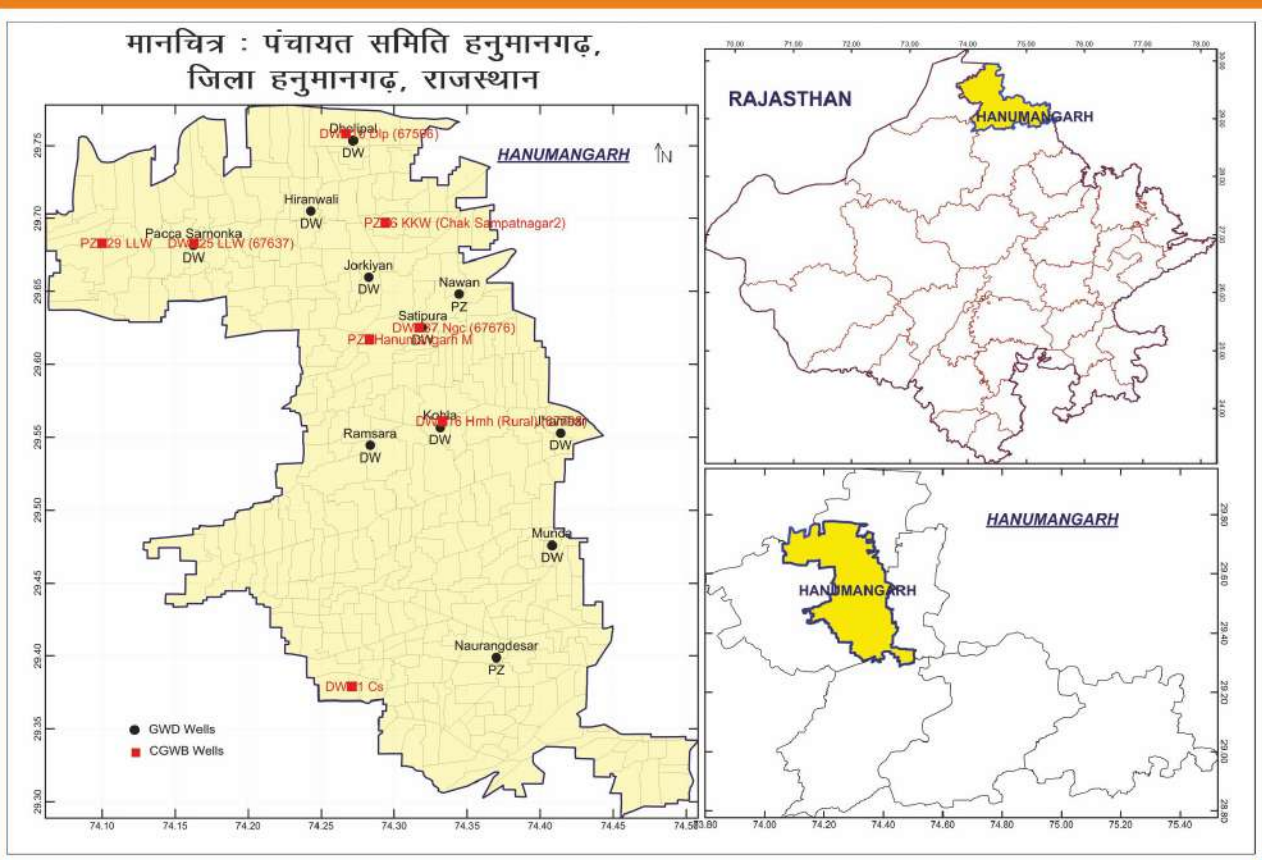

जिला नोडल कार्यालय :

नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, भू जल विभाग, हनुमानगढ़

अटल भूजल योजना का संक्षिप्त विवरण

- अटल भूजल योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से (50–50 प्रतिशत) देश के 07 राज्यों क्रमशः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में भू–जल के गिरते स्तर को रोकने, भू–जल के बेहतर प्रबन्धन हेतु 01 अप्रैल, 2020 से लागू की गई है, जिसमें राजस्थान राज्य को भी शामिल किया गया है।
- यह योजना पांच वर्षों 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक के लिये है।
- राज्य में यह योजना कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल ग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, उर्जा, वानिकी विभाग के सम्मिलित प्रयासों द्वारा कियान्वित होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा **कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल ग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, उर्जा, वानिकी विभाग** द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता से भू–जल क्षेत्रों में कुशलतम जल प्रबन्धन को बढ़ावा देने, गिरते भू–जल स्तर की दर में रोकथाम करने एवं समुदाय के जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य से संचालित की जानी है।
- यह योजना परिणाम के लिये कार्यक्रम (Program for Result) पर आधारित है। प्रत्येक वर्ष की अवधि उपरान्त भू–जल स्तर में आने वाले सुधार के अनुक्रम में सम्बन्धित विभागों को उनके द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजनाओं के तृतीय पक्षीय सत्यापन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- भू–जल स्तर में सुधार एवं भू–जल प्रबन्धन में सहयोगी विभागों के विद्यमान कार्यक्रमों तथा प्रभावी नीतियों के अनुसार ही किया जावेगा। इस हेतु निम्न 3 मुख्य घटक हैं:–

  (अ) गिरते भू–जल स्तर को रोकना।

  (ब) जन सहभागिता द्वारा भू–जल प्रबन्धन को मजबूत करना।

  (स) समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन।
- योजना के अधीन राजस्थान में राज्य स्तर पर निविदाओं / क्रय प्रक्रियाओं के प्रचलित नियम एवं प्रावधान लागू होंगे।

जन भागीदारी से जल प्रबन्धन की पहल

- **जनभागीदारी से हर पंचायत की पानी बचत योजना बनाना।**
- **महिलाओं की भागीदारी।**
- **वंचित समूहो का जुड़ाव।**
- **कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा।**
- **स्प्रिंकलर, ड्रिप व पाइपलाइन सिंचाई तकनीक को अपनाना।**
- **बारिश के पानी को इकट्ठा करना।**

" जल स्त्रोत का रखो ध्यान, फिर होगा जीवन आसान"

हनुमानगढ़ पंचायत समिति की भूजल स्थिति

- हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ पंचायत समिति में भूजलीय शैल समूह (Hydrogeological Formation) के रूप मे नवीन जलोढ़ मृदा (Younger Alluvium) पाई जाती हैं।
- भूजल विभाग द्वारा किये गये भूजल आंकलन (31.03.2020 के अनुसार) हनुमानगढ़ पं.स. में भूजल निकासी दर 63.54 प्रतिशत पाई गई है। जिसके कारण हनुमानगढ़ पं.स. को "सुरक्षित" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- भूजल सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मानसून पूर्व न्यूनतम जल स्तर 1.3मी. (ग्राम 1–सी एस), अधिकतम भूजल स्तर 29.16 मी. (ग्राम जोड़कियां) एवं पंचायत समिति का औसत भूजल स्तर 19.774 मी. पाया गया। जबकि मानसून पश्चात सर्वेक्षण में न्यूनतम जल स्तर 1.57 मी. (ग्राम 1–सीएस), अधिकतम भूजल स्तर 30.12 मी. (पक्कासारणा) एवं पंचायत समिति का औसत भूजल स्तर 20.29 मी. पाया गया।

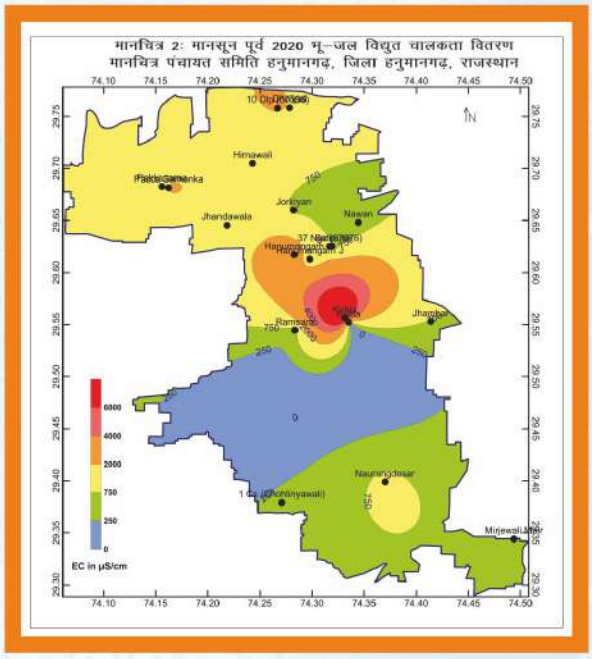

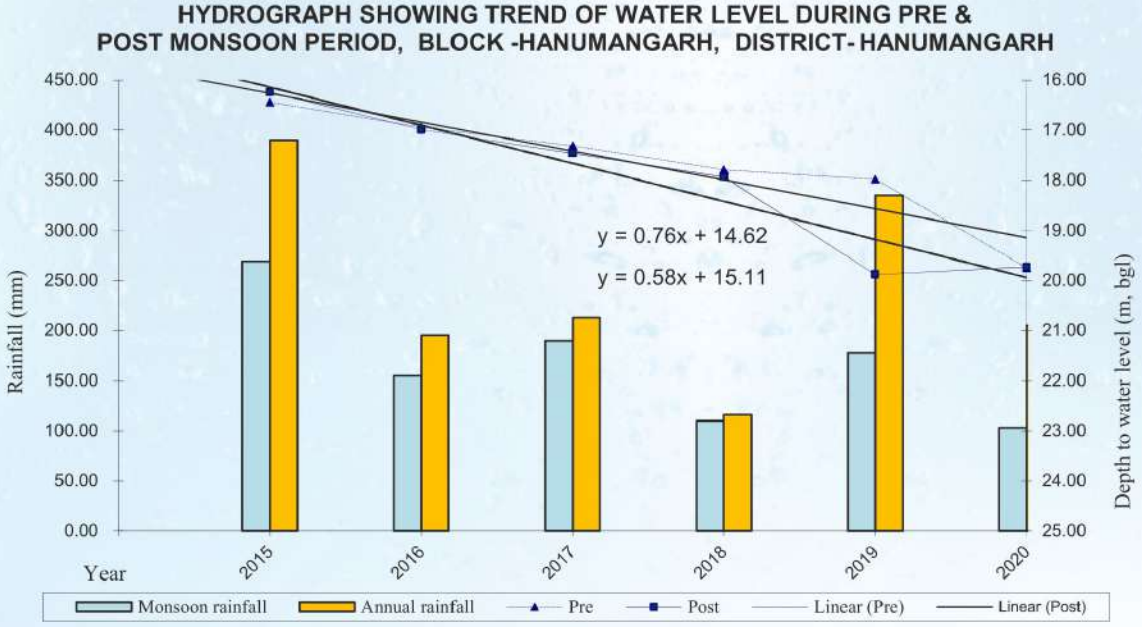

ग्राफ 1: मानसून वर्षा तथा मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात भू–जल स्तर का ग्राफ

भूजल विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

- अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के दौरान किये जाने वाले जल संरक्षण कार्यो के माध्यम से भू–जल संसाधनों में होने वाले परिवर्तनों के आंकलन के लिये भूजल विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में, जहां विभाग द्वारा पहले से भूजल स्तर मापन केन्द्र नहीं हैं उन स्थानों पर नये पीजोमीटर का निर्माण कराया जावेगा। हनुमानगढ़ पंचायत समिति में कुल 25 स्थानों पर नवीन पीजोमीटर की स्थापना की जावेगी।

- विभाग द्वारा पूर्व में स्थापित पीजोमीटर एवं नवीन निर्मित पीजोमीटर पर वास्तवित समय पर भूजल स्तर मापन हेतु टेलीमीट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (टी.डी. डब्ल्यू.एल.आर0) की स्थापना की जावेगी।इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा 31 ग्राम पंचायतों में पीजोमीटर्स पर टी.डी.डब्ल्यू.एल.आर. की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

- हनुमानगढ़ पंचायत समिति की सभी 41 ग्राम पंचायतों में वर्षा जल मापन की सुविधा उपलब्ध कराकर समुदाय को वर्षा जल की उपलब्धता के बारे में जानकारी दिये जाने का प्रावधान है।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 किसानों को जल उपयोग के प्रति जागरूक करने के उददेश्य से भूजल दोहन की इकाईयों यथा कुआँ, नलकूप पर वाटर मीटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

- समुदाय को क्षेत्र की स्थानीय भूजल गुणवत्ता समझने/जानने के लिये कुओं/नलकूपों के जल की गुणवत्ता का परीक्षण खेत पर ही करवायाजाना प्रस्तावित है। इसके लिये योजना के अधीन सभी 41 ग्राम पंचायतों में रासायनिक गुणवत्ता जांच किट का वितरण किया जावेगा।

- समुदाय को भूजल संसाधन एवं भूजल स्तरों की जानकारी देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में वाटर लेवल साउण्ड़र भी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जिससे समुदाय अपने क्षेत्र के वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात् भूजल स्तर में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन स्वंय कर सकें।

- समुदाय को जल के प्रति संवेदनशील, उपलब्ध जल का कुशलतम उपयोग, परिवर्तित फसल चक्र, माइक्रो इरिग्रेशन, को बढ़ावा एवं क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डीआईपी के माध्यम से समुदाय को जागरूक किये जाने का भी प्रावधान है।

- **अटल भूजल योजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़ पंचायत समिति की सभी 41 ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।**

योजना के घटक

राजस्थान राज्य के लिये इस योजना के अन्तर्गत 05 वर्षों के लिये कुल बजट राशि 1189.65 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इसके 02 घटक हैं:–

निवेश घटक (Investment Component)	प्रोत्साहन घटक (Incentive Component)
इस घटक के अन्तर्गत संस्थागत सुदृढ़ीकरण, क्षमता संवर्द्धन हेतु राशि 164.68 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अन्तर्गत पीजोमीटर निर्माण, लेबोरेट्री निर्माण, डाटा सेन्टर निर्माण, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं कार्यालय व्यय इत्यादि कार्य सम्पादन किया जावेगा ।	इस घटक के अन्तर्गत राज्य में पूर्व में चल रही केन्द्रीय/राज्यों की योजनाओं के अभिसरण हेतु प्रोत्साहन राशि 1024.97 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस घटक के अन्तर्गत दो कार्यों **(1) जल मॉग आधारित पूर्ति** :– कृषि के लिये कुशलतम जल प्रबंधन हेतु फव्वारा, बूंद–बूंद सिंचाई, पाईप लाईन, विद्युत सप्लाई के लिये फीडर सेपरेशन इत्यादि कार्य प्रस्तावित है। **(2) जल आपूर्ति प्रबंधन**:– कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण जैसे चैक डेम, परकोलेशन टैंक, ट्रेन्च, रिचार्ज शॉफ्ट, रिचार्ज कूप, फॉर्म पॉण्ड, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में यदि राज्यों/जिलों/पंचायत समितियोंकी लक्ष्य प्राप्ति अधिक होती है और बजट मांग है तो जिन राज्यों में लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रही हैं उनकी राशि अधिक लक्ष्य वाले राज्यों/जिलों/पंचायत समितियों को दी जा सकेगी।

योजना के जांच स्तर एवं संवितरण सम्बन्धित सूचकांक

कार्यक्रम विकास का आंकलन उपलब्धि क्षेत्र 01 से 05 सूचकांक द्वारा किया जावेगा एवं इसके आधार पर राशि संवितरण की जावेगी।

उपलब्धि क्षेत्र	संवितरण से संबन्धित सूचकांक
उपलब्धि क्षेत्र – 1 भूजल सूचनाओं, आंकड़ो/ प्रतिवेदनों की प्रभावी निगरानी प्रणाली एवं सार्वजनिक प्रगटीकरण हेतु सुदृढ़ संस्थागत तंत्र बनाना	DLI#1 जनहित में भूजल आंकड़ों/ प्रतिवेदनों सूचनाओं का सार्वजनिक प्रगटीकरण DLI#2 समुदाय संचालित/ आधारित – जल सुरक्षा योजनाओं का निर्माण
उपलब्धि क्षेत्र – 2 भूजल प्रबंधन कारकों का उत्कृश्ट कार्य योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन	DLI#3 अनुमोदित समुदाय संचालित/ आधारित –जलसुरक्षा योजनाओं को प्रचलित एवं नई कार्य योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक वित्त पोषण DLI#4 कुशलतम जल उपयोग विधाओं को स्वीकारना
उपलब्धि क्षेत्र – 1 एवं 2	DLI#5 गिरते भूजल स्तरों की दर में परिवर्तन का आंकलन

ग्रामीण जलाशयों में रिचार्ज शाफ्ट द्वारा भूजल पुनर्भरण

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

छत से प्राप्त वर्षा जल द्वारा भूजल पुनर्भरण

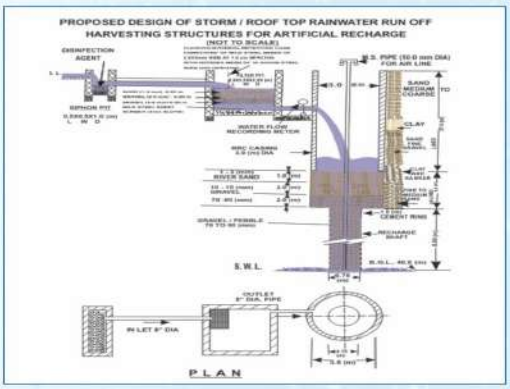

अन्य जल संरक्षण एवं पुनर्भरण संरचनाएँ

कार्यालय परियोजना निदेशक

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, अटल जल, भू–जल विभाग, जयपुर

सम्पर्क : दूरभाष : 0141–2703790 | ई–मेलः nodal.atal@rajasthan.gov.in | टोल फ्री नम्बरः 1800110121